

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

// विविध - आदेश //

क्रमांक- .०९ /लेखा0/2026

भिण्ड,दिनांक-..16/.०1./2026

प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य व्यवस्था की दृष्टि से पूर्व में कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक-170, दिनांक-03.12.2025, विविध आदेश क्रमांक-171 दिनांक-03.12.2025 व विविध आदेश क्रमांक-172 दिनांक-03.12.2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु निम्नवत् न्यायिक अधिकारीगण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

01:- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/1045, दिनांक-14 फरवरी, 2025 के क्रम में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक-538/2023 (सिविल) में पारित आदेश दिनांक-15.01.2025 के बिन्दु क्रमांक-11 की उपकण्डिका चार (के) के पालन में न्यायालय भवन में निर्मित टॉयलेट के रख-रखाव एवं निगरानी, शिकायतों के समाधान हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

जिला न्यायालय भवन भिण्ड		
क्र0	नाम अधिकारी व पदनाम	रिमार्क
01	श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिण्ड	मुख्यालय भिण्ड हेतु नोडल अधिकारी
सिविल न्यायालय तहसील लहार		
01	श्री राकेश बंसल, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लहार	मुख्यालय लहार हेतु नोडल अधिकारी
सिविल न्यायालय तहसील गोहद		
01	श्रीमती आरती ए0 शुक्ल, प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश गोहद	मुख्यालय गोहद हेतु नोडल अधिकारी
सिविल न्यायालय तहसील मेहगांव		
01	श्री अनिल कुमार नामदेव जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेहगांव	मुख्यालय मेहगांव हेतु नोडल अधिकारी

उक्त न्यायिक अधिकारीगण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन के क्रम में टॉयलेट के रख-रखाव की निगरानी करने, उक्त संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान करने एवं कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक-08, दिनांक-16.01.2026 के बिन्दु क्रमांक-घ द्वारा गठित

समिति को उक्त संबंध में जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

02:— श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिण्ड को भिण्ड जिले में संचालित समस्त न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में सी.आई.एस. के माध्यम से जारी समंस/वारंट आदि की सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वहन संबंधित पर कराये जाने तथा पुनः निर्वहन की प्रक्रिया उपरांत सी.आई.एस. में स्टेटस अद्यतन कराये जाने संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त एस.ओ.पी. अनुसार कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है।

03:— श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिण्ड को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—Reg (IT) (SA)/2019/444 JABALPUR, DT. 25-03-2019 के पालन में डिजिटাইजेशन प्रोजेक्ट वर्क हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है।

उक्त विविध आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Sdr

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक-90/लेखा0/2026
9

भिण्ड, दिनांक-17/01/2026

प्रतिलिपि:-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
3. श्रीमती आरती ए शुक्ला, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड
4. श्री राकेश बंसल, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लहार जिला भिण्ड
5. श्री अनिल कुमार नामदेव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेहगांव, जिला भिण्ड
6. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव
7. प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार/डिजिटাইजेशन अनुभाग, कम्प्यूटर/तलवाना/पंजीयन/नजारत अनुभाग भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव
8. लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड
9. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा उक्त विविध आदेश की प्रति जिला न्यायालय भिण्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड(म0प्र0)